/105650/2023

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–01
संख्या– 385 /I-1/2023-03/02/2020 (E-File No. 30740)
देहरादून : दिनांक : 13 मार्च 2023

अधिसूचना

"मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" नाम से प्रदेश के बेरोजगारों, उद्यमियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासी जो कोविड–19 के कारण राज्य वापिस आये हैं तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–697/I-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर 2020 एवं संशोधित शासनादेश संख्या 72/I-1/2021/03/02/2020 TC दिनांक 25 जनवरी 2021 के माध्यम से प्रदेश में 20/25 कि0वॉ0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु योजना प्रभावी की गयी है। योजनान्र्गत चयनित लाभार्थियों को उद्योग विभाग द्वारा संचालित MSY योजना (मुख्यमंत्री स्वरोजनगार योजना) के अन्र्तगत अनुमन्य सभी लाभ प्रदान किये जा रहे हैं।

विभिन्न कारणों से योजना में होने वाली शुद्ध आय की कमी के कारण योजनान्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना किये जाने हेतु प्रदेश के निवासियों द्वारा अधिक रूचि नहीं ली जा रही है जिस कारण योजना को वित्तीय एवं भौतिक रूप से व्यावहारिक बनाये जाने हेतु योजना में संशोधन एवं अद्यतन किये जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

अतः उक्त औचित्य से योजना को अधिक प्रभावी किये जाने हेतु तथा प्रदेश में स्वरोजगार/उद्यमिता विकास के साथ–साथ सौर ऊर्जा के विकास के उद्देश्य से वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

1. **<u>योजना का विवरण</u> :–**
   1. योजनान्तर्गत 20/25 कि0वा0 के स्थान पर वर्तमान में 20/25/50/100/200 कि0वा0 क्षमता की परियोजनाऐं स्थापित की जायेगी।
   2. इस योजना के अन्र्तगत चयनित लाभार्थियों को उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रभावी MSME पॉलिसी/योजना के अन्र्तगत अनुमन्य सभी लाभ प्रदान किये जायेंगे।
   3. इस योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति (राज्य के स्थाई निवासी) अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना कर सकेंगे।
   4. इस योजना के अन्र्तगत investuttarakhand.uk.gov.in पोर्टल मे Single Window System के माध्यम से इच्छुक पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त किये जायेंगें।
   5. योजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड अक्षय विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा किया जायेगा तथा यू0पी0सी0एल0, उद्योग/एम0एस0एम0ई0 एवं उत्तराखण्ड राज्य/जिला सहकारी, बैंकों द्वारा सहयोगी संस्थाओं के रूप में कार्य किया जायेगा।

/105650/2023
/105650/2023

6. इस योजना के अन्तर्गत कुल 250 मेगावॉट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है जिसमें वर्षवार लक्ष्य एम0एस0एम0ई0 एवं वित विभाग की सहमति से निर्धारित किया जायेगा।

2. **<u>"मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" हेतु पात्रता</u> :–**

1. इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
2. इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के **18 वर्ष से अधिक आयु के उद्यमशील युवक**/युवतियाँ, ग्रामीण बेरोजगार एवं कृषक द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। योजना में प्रतिभाग हेतु शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है।
3. इस योजना में 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है, (जिसमें क्षमता 20/25/50/100/200 कि0वॉ0 में से किसी भी क्षमता के 01 ही संयंत्र को संज्ञान में लेते हुये पात्रता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा), जिस हेतु आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदन के साथ ही लिया जायेगा कि सम्बन्धित आवेदक के परिवार से अन्य किसी सदस्य द्वारा इस योजना के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया गया है। यद्यपि परिस्थितिनुसार उरेडा अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोंपरांत एक ही परिवार को अतिरिक्त आंवटन पर विचार किया जा सकता है। यदि बिना उरेडा अभिकरण के किसी भी समय एक ही परिवार को दो संयत्र आवंटन का तथ्य गलत पाया जाता हैं तो उरेडा द्वारा आवेदन/आवंटन को निरस्त कर जमा सिक्योरिटी (CPG) जब्त कर ली जायेगी। **इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 697/I-1/20220-03/2020 दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के अन्तर्गत पूर्व संचालित योजना पात्रता के लाभार्थी/आवंटी भी नये प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे।**

3. **<u>"मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" हेतु तकनीकी मानक</u> :–**

1. पूर्व प्रावधानों के अतिरिक्त 50 किलोवॉट की क्षमता के सोलर प्लांट हेतु 750–1000 वर्ग मीटर, 100 कि0वॉ0 क्षमता हेतु 1500–2000 वर्ग मीटर एवं 200 कि0वॉ0 हेतु 3000–4000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी।
2. 50/100/200 कि0वॉ0 क्षमता के संयत्र की स्थापना पर लगभग 50 हजार प्रति कि0वॉ0 की दर से कुल 25/50/100 लाख का व्यय अनुमानित है। उक्त प्रति कि0वा0 दरें 20/25 कि0वॉ0 के नये संयत्रों हेतु भी अनुमन्य होंगी।
3. उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में धूप की उपलब्धता के आधार पर योजना के पूर्व प्रावधानों के अतिरिक्त 50/100/200 कि0वॉ0 क्षमता के संयत्र से पूरे वर्ष में लगभग 1520 यूनिट प्रति कि0वा0 की दर से कुल 76000/152000/304000 यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन किया जा सकता है।
4. इस योजना के अर्न्तगत स्थापित होने वाले सोलर पावर प्लान्ट से उत्पादित विद्युत को मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर यू0पी0सी0एल0 द्वारा अनुमनय 25 वर्ष की अवधि हेतु क्रय किया जायेगा, जिस हेतु यू0पी0सी0एल0 द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी/आवंटी के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध (पी0पी0ए0) सुनिश्चित किया